


पत्रावली पेश किया जा शा मिल
 जबाब पेश किया जा शा मिल
 दिया। पत्रावली वास्ते बहस हेतु आईन्दा
 19/11/19 का पेश हो।
 (जिप) प्रमाण
 उपखण्ड अधिकारी
 सुमेरपुर (पाली)

दिनांक... 19/11/19
 उपस्थित।
 आज पीठासीन अधिकारी महोदय नं० ५७० चुनाव मे व्यस्त
 पधारे हुए है अतः पेशी इत्यादि होकर पत्रावली
 आयांदा दिनांक... 31/12/19... पेश हो।
 (जिप) प्रमाण
 मंडर,
 उपखण्ड न्यायालय, सुमेरपुर

31/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी द्वारा
 पार्थीना पत्र पेश कर 251(A) कर
 कंपनी खातेदारी भ्रष्टि जाने हेतु गे० भु०
 नहर ख० नं० 152 से ख० नं० 161 व 160
 में से रास्ता चढा है। हमने पत्रावली
 पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन व
 मनन किया। तहसीलदार सुमेरपुर
 द्वारा प्रस्तुत जबाब पत्र का अवलोकन
 किया। बहस सुनी व बहस पर मनन किया।

पार्सी द्वारा रास्ते की मांग रास्ते से
न कर गै ० मु० नहर से की है जो
251(A) के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।
251(A) में रास्ता देने का प्रावधान
समीपवर्ती रास्ते से काश्तकार के
सुखान्धार के लिए है न कि सुविधा
के लिए। ख० नं० 160 व 161 वर्तमान
में सिवाय चक दर्ज है। पार्सी अपनी
खानेदारी में नहर के सहारे पूर्व से आना
जाता कर रहा है एवं ख० नं० 160 व 161
की मा० के सहारे क्वीरी रास्ते से आना
जाता कर रहा है। ख० नं० 152 गै ० मु० नहर
है। रास्ता नहीं है। रास्ते से रास्ता देने
का प्रावधान 251(A) में होने से पार्सी
का प्रावधान पत्र परिपो पठाय नहीं होने
से खारीज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास
सुनाया गया। पत्रावली के सल्ल शुमार
देकर नम्बर से कत ले।


उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

